

209

9
03-13



R-1287-III/13

C.F. Rs. 50/-

पूरन पिता अमिरवा चर्मकार आयु 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम तिखवा थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 ----- अपीलान्ट/आवेदक

बनाम

1. सौखीलाल पिता अमिरवा चर्मकार
2. देशराज पिता अमिरवा चर्मकार

दोनों निवासी ग्राम खैरा थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल

म0प्र0-----

रेस्पॉण्डण/अनावेदक


अपीलान्टी के मुल्काद
रामगोविन्द चर्मकार
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 7-03-13

अपील/निगरानी विरुद्ध निर्णय कमिश्नर

शहडोल सम्भाग शहडोल म0प्र0 के

रा0प्र0क0- 148/अपील/2008-09 निर्णय

दिनांक 27.08.12

मान्यवर, 
राजस्व मण्डल, म0प्र0
ग्वालियर

अपीलान्ट/आवेदक के निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि-न्यायालय कमिश्नर शहडोल सम्भाग शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक-148/अपील/08-09 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्तगी है।

2. यह कि-अमिरवा चमार जो अपीलान्ट का पिता है जो एक मात्र सादी सोनिया से किया था। सोनिया व अमिरवा के नुत्के से पूरन, छत्रपती व कलेशरा संतान की उत्पत्ति हुई जिनमें से छत्रपती एवं कलेशरा लावल्द फौत है जिससे हल्का पटवारी के यहाँ प्रस्तुत सेजरा खानदान में अमिरवा के वारिसान मुस0 सोनिया व पूरन को दर्शाया गया जो अमिरवा के बंध उत्तराधिकारी थे जिनका ग्राम तिखवा की आ0ख0नं0-564/5 रकबा 4.562हे0 अराजी का नामान्तरण जरिये नामान्तरण पंजी क्रमांक-2 दिनांक 24/12/92 को हुआ।


3. यह कि-नामान्तरण विधिवत इशतहार का प्रकाशन किया गया जिस पर कोई आपत्ति न होने से नामान्तरण स्वीकार किया गया जिसके 4 वर्ष बाद प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी के रा0प्र0क0-24/अपील/अ-6/96-97

कल
26-3-13

रामगोविन्द चर्मकार





स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
<p>23.01.19</p>	<p>(1) प्रकरण प्रस्तुत। उभयपक्षों की ओर से कोई अपास्थिति नहीं।</p> <p>(2) प्रकरण की अपेक्षा पत्रिका दिनांक 20/6/18 एवं 9/8/19 का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की अनुपास्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक/अनावेदक की प्रकरण को चलाने में रुचि नहीं है।</p> <p>(3) अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  23.01.19 </p>	